



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21394

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1951 वर्ष 2026

साजिद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आभास शर्मा, राजेश कुमार शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 460/2024 में धारा 115(2), 3(5), 109, 352, 103(1) के तहत, पुलिस स्टेशन - लोनी, जिला - गाजियाबाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी सलमान और सानू उर्फ अरशद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.1.2026 और 8.1.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45322/2025 और 43427/2025 में पारित आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। निवेदन यह भी किया गया है कि चूंकि आवेदक का मामला उन सह-आरोपियों के समान है जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। निवेदन यह भी किया गया है कि इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और प्रत्यक्षदर्शी गवाह (पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.2, पी.डब्ल्यू.3 और पी.डब्ल्यू.4), जो मामले के प्रत्यक्षदर्शी भी बताए जाते हैं, न्यायालय के समक्ष अपने बयान में मुकर गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक 29.8.2024 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. जमानत की अर्जी का विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है।

5. समान परिस्थितियों में फंसे सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2018) 3 एससीसी 22 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक **साजिद**, जो मुकदमा अपराध संख्या 460/2024, धारा 115(2), 3(5), 109, 352, 103(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन - लोनी, जिला - गाजियाबाद में आरोपित है, को निजी मुचलके और दो भारी जमानतदारों को पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही हो, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

(iv). आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

29 जनवरी 2026

एस एस

(न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।